कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कबीरधाम छ.ग.

क्रमांक./स्थापना नर्सिंग/सीधी भर्ती/2021 /4283 कबीरधाम दिनांक 07/07/2021

//सूचना//

विषय :— जिला स्तरीय सीधी भर्ती के पद मितानीन से ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का ऑनलाईन प्राप्त पूर्ण आवेदनो के आधार पर दिनांक 27.06.2021 को विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने उपरांत अभ्यार्थियों के परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची का प्रकाश एवं दिनांक 13.07.2021 को समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक दस्तावेज सत्यापन की सूचना।

उपरोक्त विषयांतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु छ0ग0 छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के विज्ञापन क्रमांक /स्थापना नर्सिंग/170/2021/229 दिनांक 09.03.2021 द्वारा मितानीन के लिए आरक्षित 146 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला (एम.पी.डब्ल्यु.) महिला के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सहमति/अनुमति उपरांत दिनांक 10.03.2021 से 31.03.2021 तक ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर आमंतित्र किए गए थे।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम द्वारा ऑनलाईन प्राप्त पूर्ण 76 आवेदकों का दिनांक 27.06.2021 को शासकीय सुधा देवी नर्सिंग महाविद्यालय कबीरधा में परीक्षा आयोजित किया गया। उक्त परीक्षा में 69 अभ्यार्थियों उपस्थित हुये जिनका प्राप्ताकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की प्रारंभिक अनंतिम मेरिट सूची, अनुतीर्ण सूची एवं अनुपस्थित अभ्यार्थियों की सूची के अवलोकन एवं दस्तावेज सत्यापन की सूचना जिले के वेबसाईट http://kawardha.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in सूची का प्रकाशन किया गया है।

टीप :—

1. कबीरधाम जिले हेतु विज्ञापित पद के अनुसार अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 13.07.2021 को समय प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक निर्धारित है। दस्तावेज सत्यापन तिथि को अभ्यार्थी/आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा।
2. दस्तावेज सत्यापन के समय (SHRC) से प्राप्त मितानीन के पद पर लगातार 05 वर्ष कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (SHRC) से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।
3. केवल उत्तीर्ण अभ्यार्थियों का ही दस्तावेज का सत्यापन किया जावेगा।
4. अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन के दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति लाना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यार्थियों को पहचान पत्र (पेन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप से लाना होगा।
6. यदि अभ्यार्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उन्हे दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।
7. कोविड—19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यार्थियों को कोविड—19 से संबंधित समस्त दिशा—निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाईन किये गये आवेदन की प्रति 01 सेट जमा करना अनिवार्य है।
9. ऑनलाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ही सत्यापन किया जावेगा। अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को स्वीकार और सत्यापन नहीं किया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कबीरधाम छ.ग.